

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, स्ल 6-7, वाक्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आ.ए.एल.)

हनिन्द्रपाल बराह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्वयित 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 14/2022

निर्णय दिनांक :- 18.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनात कर्तई स्वस्त उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री भगवान दास पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादायक वादी अन्वयित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 42 एक की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 39/39, खाता संख्या 63/41, खाता संख्या 34/28 में अंकित नाम हनिन्द्रपाल सिंह के स्थान पर हनिन्द्रपाल बराह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.04.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र (आ.ए.एल.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 14/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कृष्णपुर

मुदयई	रुपया	पैसा	मुदायती	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयुटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/206

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

(सुभाष चन्द्र (आ.ए.एल.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 14/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कृष्णपुर

दिनांक: 18.04.2022

(सुभाष चन्द्र (आ.ए.एल.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 14/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कृष्णपुर